पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

2017 की आपराधिक विविध संख्या 41386

पीएस मामला सं.- 47 वर्ष- 2016 थाना-शाहजहांपुर जिला-पटना से उत्पन्न

==========

1. मृदुला सिंह, पति चंद्र प्रसाद
2. विवेक कुमार, पुत्र स्वर्गीय डॉ. वी. के सिंह, दोनों फ्लैट नंबर 43, प्रकाश कुंज अपार्टमेंट, पश्चिम नागेश्वर कॉलोनी, बोरिंग रोड, पी. एस.-बुद्ध कॉलोनी, जिला-पटना के निवासी हैं।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. बिहार राज्य
2. शिवशंकर प्रसाद, पिता-स्व. कैलाश प्रसाद, निवासी ग्राम-निजामत, पी.ओ. एवं पी.एस.-धनरुआ, जिला-पटना

.....प्रतिवादीगण

==========

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 482

भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 323, 504, 406, 420, 506, 424 और 384

शस्त्र अधिनियम, 1959 - धारा 27

इस केस में खंड पीठ के सामने महत्वपूर्ण कानून का तीन प्रश्नें यह है कि परिवाद वाद में पुलिस वाद में समन केस में, वारंट केस में, सत्र केस में या अन्य वाद में प्रतिस्थापन अनुमान्य है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय **चाँद देवी ड़ागा और अन्य बनाम मंजू के. ह्युमैटेनी,** ए.आई.आर. 2017 एस.सी. 5126 पर भरोसा किया गया और निर्णित किया गया कि परिवाद में शिकायतकर्ता की मृत्यु के बाद प्रतिस्थापन याचिका की अनुमति नहीं है। जहाँ तक पुलिसवाद का संबंध है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 302 को ध्यान में रखते हुए किसी प्रतिस्थापन याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं है और सूचना देने वाले की अनुपस्थिति में या उसकी मृत्यु के बाद भी मामला आगे बढ़ सकता है। जहाँ तक समन केस, वारंट केसा या सत्र केस का सवाल है, खंड पीठ ने निर्णित किया कि इस प्रश्न का महत्व खत्म हो जाता है क्योकि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है। अंतिम प्रश्न का उत्तर खंड-पीठ ने नहीं दिया। [पैरा 9, 10 और 11]

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

2017 की आपराधिक विविध संख्या 41386

पीएस मामला सं.- 47 वर्ष- 2016 थाना-शाहजहांपुर जिला-पटना से उत्पन्न

==========

1. मृदुला सिंह, पति चंद्र प्रसाद
2. विवेक कुमार, पुत्र स्वर्गीय डॉ. वी. के सिंह, दोनों फ्लैट नंबर 43, प्रकाश कुंज अपार्टमेंट, पश्चिम नागेश्वर कॉलोनी, बोरिंग रोड, पी. एस.-बुद्ध कॉलोनी, जिला-पटना के निवासी हैं।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. बिहार राज्य
2. शिवशंकर प्रसाद, पिता-स्व. कैलाश प्रसाद, निवासी ग्राम-निजामत, पी.ओ. एवं पी.एस.-धनरुआ, जिला-पटना

.....प्रतिवादीगण

==========

उपस्थिति:

याचिकागण के लिएः श्री रमाकांत शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता,

श्री निखिल कुमार अग्रवाल अधिवक्ता,

विपक्ष की ओर से: श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, ए. पी. पी

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री राकेश कुमार

एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश चंद्र जयस्वाल

<u>सी. ए. वी. आदेश</u>

(द्वाराः माननीय न्यायमूर्ति श्री राकेश कुमार)

12. 28-03-2019

(1) क्या परिवाद वाद के साथ-साथ पुलिस वाद के संबंध में, भी प्रतिस्थापन अनुमान्य है,

(2) यदि ऐसा है, तो क्या समन केस वारंट केस और सत्र केस में भी प्रतिस्थापन अनुमान्य है?

(3) क्या पक्षकार की ओर से न्यायालय के समक्ष लंबित किसी अन्य याचिका के संबंध में भी प्रतिस्थापन अनुमान्य?

2. उपरोक्त तीन प्रश्नों का उत्तर इस खंड पीठ द्वारा दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि उन प्रश्नों को खण्ड पीठ को इसके निर्णय के लिए माननीय एकल बेंच द्वारा संदर्भित किया गया है। उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आगे बढ़ने से पहले, वाद के कुछ तथ्यों को संक्षेप में बताना उचित होगा।

3. हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री निखिल कुमार अग्रवाल और श्री नरेंद्र कुमार सिंह अपर लोक अभियोजक की सहायता से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रमाकांत शर्मा को सुना है। .

4. कथित दो याचिकाकर्ताओं ने 2016 के शाहजहांपुर थाना वाद संख्या 47 में पटना सिटी के विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जिसे इसके बाद 'ए.सी.जे.एम.' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ अपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसके बाद 'सी.आर.पी.सी.' के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 482 के तहत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उक्त आदेश द्वारा, विद्वान ए.सी.जे.एम. ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 323,504,406,420,506,424 और 384 (इसके बाद 'आई. पी. सी.' के रूप में संदर्भित) और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 27 (इसके बाद 'शस्त्र अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत अपराध का संज्ञान लिया है और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ समन जारी करने का निर्देश दिया है। उक्त आदेश पूरक आरोप पत्र के आधार पर पारित किया गया था। 2016 का शाहजहांपुर थाना वाद संख्या 47 एक शिकायत वाद द्वारा

सामने आया था। 2016 का शिकायत वाद संख्या 702, जिसे शिवशंकर प्रसाद ने विद्वान ए.सी.जे.एम.,पटना सिटी की अदालत में दायर किया था, जिसमें चार व्यक्तियों को आरोपी के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उपरोक्त दो याचिकाकर्ता मृदुला सिंह और विवेक कुमार शामिल हैं। शिकायतकर्ता ने शिकायत याचिका में आरोप लगाया कि उसने मीनाक्षी सिंह से 18-05-2010 को कृषि भूमि का एक भूखंड खरीदा था और उसके बाद से वह उक्त भूमि पर शांतिपूर्ण कब्जे में है। भूमि का उक्त भूखंड मीनाक्षी सिंह की पैतृक संपत्ति थी और उन्होंने विभाजन के माध्यम से भूमि का उक्त भूखंड प्राप्त किया था। शिकायत याचिका में आरोप लगाया गया था कि 27-05-2016 को, रोहन यादव (सह-आरोपी) नामक व्यथित ने धोखाधड़ी से याचिकाकर्ताओं से उक्त भूमि खरीदी और एक योगेंद्र महतो (सह-आरोपी) नामक व्यथित ने बिक्री-विलेख पर गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए। यह आरोप लगाया गया था कि 1-08-2016 को जब शिकायतकर्ता अपनी जमीन की जुताई कर रहा था, तो सह-आरोपी रोहन यादव वहां आया और शिकायतकर्ता को यह दावा करते हुए गाली देना शुरू कर दिया कि उसने उक्त जमीन खरीदी है। शिकायत याचिका में आगे यह आरोप लगाया गया कि रोहन यादव (सह-आरोपी) ने अपनी पिस्तौल से गोली चलाई, हालांकि शिकायतकर्ता किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। शिकायत याचिका को 2016 की शिकायत वाद संख्या 702 के रूप में क्रमांकित किया गया था। विद्वान **A.C.J.M**, ने **Cr.P.C**, की धारा 156 (3) में निहित प्रावधानों को देखते हुए। सं. 41386 दिनांक। शाहजहांपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को एक वाद दर्ज करने और उसी की जांच करने का निर्देश दिया और इस तरह, एक औपचारिक एफ. आई. आर., 2016 शाहजहांपुर थाना वाद संख्या 47, आई. पी. सी. की धारा 323,504,406,420,506,424 और 384 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अपराध के लिए दर्ज किया गया था। जाँच के दौरान, आरोप सही पाया गया और आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और उसके बाद, विद्वान **A.C.J.M** ने 07-07-2017 के आदेश द्वारा अपराध का संज्ञान लिया, जिसे **Cr.P.C** की धारा 482 के तहत दायर वर्तमान आवेदन में चुनौती दिया गया है।

5. वर्तमान मामले में, बाद में याचिकाकर्ताओं की ओर से एक पूरक हलफनामा भी दायर किया गया था। दिनांक 14-08-2018 के आदेश द्वारा, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को सुनने के बाद, माननीय एकल पीठ ने विरोधी पक्ष सं.-2 को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था साथ ही याचिकाकर्ताओं के संबंध में मामले में आगे की कार्यवाही को नीचे दिए गए न्यायालय के समक्ष रोकने का निर्देश दिया। नोटिस, जो पहले विरोधी पक्ष सं.-2 को जारी किया गया था , समर्थन के साथ वापस लौट आया कि "विरोधी पक्ष सं.-2 पहले से ही 18-09-2016 पर मर चुका था। इसके बाद, 03-10-2018 को, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा की गई प्रार्थना पर, प्रतिस्थापन याचिका दायर करने के लिए कदम उठाने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया। आदेश फलक से ऐसा प्रतीत होता है कि वाद दिनांकित 03-10-2018 आदेश के संशोधन के लिए "उल्लेख किया जाना है" शीर्षक के तहत सूचीबद्ध था। इसके बाद, दिनांक 25-10-2018 के आदेश द्वारा, माननीय एकल पीठ ने 2016 पटना सिटी के शाहजहांपुर थाना वाद संख्या 47 में विद्वान ए.सी.जे.एम. की अदालत से एक रिपोर्ट माँगी कि क्या मूल शिकायतकर्ता की मृत्यु के बाद, किसी भी व्यक्ति द्वारा अभियुक्त के अभियोजन को जारी रखने के लिए अदालत की अनुमति मांगने वाली कोई याचिका, कानूनी उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि होने के लिए दायर की गई है और विद्वान अपर लोक अभियोजक को भी केस डायरी प्राप्त करने का निर्देश दिया, जो बाद में प्राप्त हुई। इस बीच, 15-01-2019 को, याचिकाकर्ताओं ने विरोधी पक्ष संख्या 2, जिनकी मृत्यु 18-09-2016 को हुई थी, के कानूनी उत्तराधिकारी को प्रतिस्थापित करने के लिए **Cr.P.C** की धारा 482 के तहत 2019 की आई. ए. संख्या 1 के माध्यम से एक अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया। अंत में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुनने के बाद दिनांक 25-01-2019 के आदेश द्वारा, माननीय एकल पीठ ने उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मामले को खंड पीठ को भेज दिया है, जिन्हें पहले ही ऊपर उद्धृत किए जा चुके है।

6. जहाँ तक सवाल नं. 1 "शिकायत वाद के साथ-साथ पुलिस वाद के संबंध में प्रतिस्थापन की अनुमति है या नहीं" की बात हैं, हमारी राय है कि शिकायत वाद या पुलिस वाद में

किसी में भी प्रतिस्थापन याचिका की अनुमति नहीं है। जहाँ तक शिकायत वाद का संबंध है, **Cr.P.C** में कुछ प्रावधान हैं, जिन्हें फिर से संक्षिप्त में दोहराने आवश्यकता है।

7. **Cr.P.C** की धारा 256, जो कहती है:-

"256. शिकायतकर्ता की गैर-उपस्थिति या मृत्यु। –(1) यदि शिकायत पर समन जारी किया गया है, और अभियुक्त की उपस्थिति के लिए नियत दिन पर, या उसके बाद के किसी भी दिन जिस पर सुनवाई स्थगित की जा सकती है, शिकायतकर्ता पेश नहीं होता है, तो मजिस्ट्रेट, इसमें पहले कुछ भी निहित होने के बावजूद, अभियुक्त को बरी कर देगा, जब तक कि वह किसी कारण से मामले की सुनवाई को किसी अन्य दिन के लिए स्थगित करना उचित नहीं समझता हैः

बशर्ते कि जहां शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व किसी वकील या अभियोजन का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाता है या जहां मजिस्ट्रेट की राय है कि शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है, तो मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति से छूट दे सकता है और मामले को आगे बढ़ा सकता है।

(2) उप-धारा (1) के प्रावधान, जहां तक हो सके, उन मामलों में भी लागू होंगे जहां शिकायतकर्ता की गैर-उपस्थिति उसकी मृत्यु के कारण है। "

8. इसी तरह, **Cr.P.C** की धारा 303 इस प्रकार है:-

"302. अभियोजन चलाने की अनुमति। –(1) किसी मामले की जांच या सुनवाई करने वाला कोई भी मजिस्ट्रेट निरीक्षक के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभियोजन चलाने की अनुमति दे सकता है, लेकिन महाधिवक्ता या सरकारी अधिवक्ता या लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के अलावा कोई भी व्यक्ति ऐसी अनुमति के बिना ऐसा करने का हकदार नहीं होगाः

बशर्ते कि किसी भी पुलिस अधिकारी को अभियोजन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि उसने उस अपराध की जांच में भाग लिया है जिसके संबंध में आरोपी पर मुकदमा चलाया जा रहा है।

(2) अभियोजन का संचालन करने वाला कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या किसी वकील द्वारा ऐसा कर सकता है।

9. सी.आर.पी.सी. की धारा 256 के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता की मृत्यु के मामले में भी, विद्वान मजिस्ट्रेट मामले में आगे बढ़ सकता है बशर्ते शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व एक वकील या अभियोजन का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाए। यहां तक कि, विद्वान मजिस्ट्रेट, यदि उसकी राय है कि शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है, तो वह मामले को आगे बढ़ा सकता है। इसी तरह, सी.आर.पी.सी. की धारा 302. एक मजिस्ट्रेट को इंस्पेक्टर के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मामले की जांच या मुकदमा चलाने के लिए अधिकृत करती है, लेकिन महाधिवक्ता या सरकारी अधिवक्ता या लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के अलावा कोई भी व्यक्ति ऐसी अनुमति के बिना ऐसा करने का हकदार नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि यदि मामले का प्रतिनिधित्व महाधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता या लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक द्वारा किया जा रहा है, तो सूचना देने वाले की मृत्यु के मामले में भी मामले की सुनवाई करने वाले विद्वान मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। **Cr.P.C** की धारा 156 (3) के तहत विद्वान **A.C.J.M** द्वारा दिए गए निर्देश को देखते हुए पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया था। शिकायत याचिका की प्राप्ति पर, 2016 का शाहजहांपुर थाना वाद संख्या 47 दर्ज किया गया और पुलिस ने मामले की जांच की। जाँच के दौरान, आरोप सही पाया गया, उसके बाद अभियुक्त व्यक्तियों को मुकदमे का सामना करने के लिए आगे भेजते हुए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। चूंकि मामले की जांच पुलिस द्वारा की गई थी और रिपोर्ट पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई थी, इसलिए यह राज्य और आरोपी के बीच का मामला था। इसका अर्थ यह है कि वर्तमान मामले पर लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक/सहायक लोक अभियोजक द्वारा मुकदमा चलाया गया था

और इस तरह, शिकायतकर्ता/विरोधी पक्ष सं2 का मामले पर कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ तक कि एक मामले में, शिकायत वाद के आधार पर आगे बढ़ने पर, अपराधिक की धारा 256 के तहत विशिष्ट प्रावधान है, जिसकी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की गई है **ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 5126 (चांद देवी डागा और अन्य बनाम.मंजू के. ह्यूमैटेनी) में।** चांद देवी डागा के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने पहले के कई फैसलों की जांच की है। विशेष रूप से ए**. आई. आर. 1967 एस. सी. 983 (अश्विन नानुभाई व्यास बनाम महाराष्ट्र राज्य)** और **(2006) 5 एस. सी. सी. 530 (बालासाहेब के. ठाकरे और अन्न। बनाम. वेंकट @बाबरू)।** अश्विन नानुभाई व्यास का मामला (उपरोक्त)में, नई संहिता की धारा 256 के लिए समविषयक का प्रावधान पुरानी संहिता में धारा 247 थी। पुरानी संहिता की धारा 247 पर विचार किया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि कोई प्रतिस्थापन के लिए प्रावधान नहीं था, लेकिन शिकायतकर्ता की मृत्यु के बाद के मामले में कानूनी प्रतिनिधि को अनुमति देने के लिए, कानूनी उत्तराधिकारी मामले को आगे बढ़ाना चाहता था। दूसरे शब्दों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि शिकायत मामले में भी, शिकायतकर्ता की मृत्यु के बाद, प्रतिस्थापन याचिका की अनुमति नहीं है, लेकिन विद्वान मजिस्ट्रेट **Cr.P.C** की धारा 256 के संदर्भ में शिकायत वाद के साथ आगे बढ़ सकते हैं।

10. चूंकि पहला प्रश्न अर्थात कि क्या शिकायत वाद के संबंध में प्रतिस्थापन की अनुमति है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका है कि कोई प्रतिस्थापन की अनुमति नहीं है, इसलिए पहले प्रश्न का उत्तर दिया जाता है कि परिवाद में, शिकायतकर्ता की मृत्यु के बाद, प्रतिस्थापन याचिका की अनुमति नहीं है। हालाँकि, यदि शिकायतकर्ता का कोई कानूनी उत्तराधिकारी मामले को आगे बढ़ाने का इरादा रखता है, तो वह उसे मामले को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिए विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका दायर कर सकता है। जहाँ तक पुलिस वाद का संबंध है, **Cr.P.C** की धारा 302 को ध्यान में रखते हुए, किसी भी प्रतिस्थापन याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं है और सूचना देने वाले/शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में या उसकी मृत्यु के बाद भी मामला आगे बढ़ सकता है।

चूंकि पहला प्रश्न अर्थात प्रश्न सं. (1) का उत्तर दिया गया है कि कोई प्रतिस्थापन याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है, प्रश्न संख्या। (2) स्वतः ही अपना महत्व खो देता है और इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

11. जहाँ तक प्रश्न सं. (3) अर्थात् किसी भी पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष लंबित किसी अन्य याचिका के संबंध में, ऐसे प्रश्न का उत्तर तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक कि स्पष्ट रूप से नहीं पूछा जाता है। इसके अलावा, **Cr.P.C** में, कई प्रावधान हैं, जो प्रतिस्थापन याचिका दायर करने से उत्पन्न होते हैं, जैसे; **Cr.P.C** की धारा 145 के तहत कार्यवाही के साथ-साथ **Cr.P.C** के अध्याय **XXXIV** के तहत एक कार्यवाही, जो संपत्ति के निपटारे और अपील के अधिकार से संबंधित है, हालांकि चूंकि मामला पुलिस वाद के संबंध में है, इसलिए प्रश्न संख्या। (3) उचित मामले में विस्तार से निपटाया जा सकता है।

12. उपरोक्त चर्चा के परिप्रेक्ष्य, मुख्य प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या। (1) उत्तर दिया जाता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, और मामला प्रश्नगत विषय पर अंतिम निर्णय के लिए माननीय एकल न्यायाधीश को वापस भेज दिया जाता है।

(राकेश कुमार, न्यायमूर्ति)

(पी.सी.जयसवाल, न्यायमूर्ति): मैं सहमत हूँ।

(प्रकाश चंद्र जैसवाल, न्यायमूर्ति)

अनय

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।